मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 15/01/2025

क्रमांक 100 /2338775/2024/42-2:: राज्य शासन एतद् द्वारा मंत्रि-परिषद् के आदेश आयटम क्रमांक-1 दिनांक 07 जनवरी, 2025 के अनुसार प्रदेश के युवाओं के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से युवा-उन्मुख गतिविधियों को प्रज्वलित करने तथा समन्वित रूप से एक ही मंच पर लाने हेतु स्वामी विवेकानन्द युवा शक्ति मिशन प्रारंभ करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

2. उद्देश्य:

यह मिशन युवा शक्ति के लिए एक समेकित रणनीति/पहल की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। मिशन का उद्देश्य राज्य के युवाओं को गतिशील विश्व के अनुरूप सशक्त बनाना होगा। प्रदेश में युवाओं को उद्यमिता और कौशल विकास का वातावरण प्रदान करना मिशन का उद्देश्य होगा। शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, रोजगार, शासन (Governance) में भागीदारी और सामाजिक जुड़ाव के माध्यम से राज्य के युवाओं के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करके, आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी मध्य प्रदेश बनाना मिशन का उद्देश्य है।

इस मिशन के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे:-

2.1 आत्म विश्वास निर्माण- प्रौद्योगिकी में हो रहे तेजी से बदलावों के साथ आर्थिक परिदृश्य में भी बदलाव हो रहे हैं। तेजी से बदलते परिदृश्य के अनुरूप युवाओं में आत्मविश्वास और दृढ़ता को प्रोत्साहित करने के साथ एकीकृत कार्यवाही के लिए मिशन एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा।

2.2 प्रतिस्पर्धा हेतु तैयारी- वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में युवाओं के कौशल विकास एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के अवसरों में वृद्धि से प्रतिस्पर्धी वातावरण में युवा सफ़ल हो सकेंगे। मिशन वैश्विक स्तर पर युवाओं के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं से प्रतिस्पर्धा करने की संभावनाओं के द्वार खोलेगा।

2.3 उत्पादकता- मिशन से प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में योगदान देने के लिए युवा प्रतिभाओं की उत्पादक क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। यह मिशन प्रशिक्षण/शिक्षा की गुणवत्ता और उद्योग उन्मुखीकरण गतिविधि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा, ताकि युवाओं में नई दुनिया में निर्णय लेते समय आत्मविश्वास की भावना निर्मित हो सके।

3. मिशन के घटक:

मिशन के निम्नलिखित घटक होंगे:-

3.1 संवाद:

- सामाजिक योगदान हेतु संकल्प
- युवाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न करना एवं संवाद स्थापित करना
- विकास यात्रा में युवाओं के साथ भागीदारी

3.2 सामर्थ्य (योग्यता):

- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार
- कौशल विकास इंटरनर्शिप एवं शिक्षुता प्रशिक्षण (apprenticeship)

3.3 समृद्धि:

- विकसित एवं समर्थ मध्यप्रदेश
- सतत संवहनीय विकास

4. मिशन के लक्ष्य:

- प्रत्येक युवा की आय का स्तर न्यूनतम कुशल श्रेणी श्रमिक की दर के बराबर लक्षित करना: 70 प्रतिशत व्यक्तियों के लिए उपलब्धि (वर्ष 2030 तक)
- प्रत्येक युवा को कक्षा 12वीं तक के स्तर तक शिक्षा पूरी करना: 100 प्रतिशत (वर्ष 2030 तक); एवं मध्यवर्ती 10वीं में 100 प्रतिशत (वर्ष 2028 तक)
- प्रत्येक युवा को समाज के हित में सामाजिक पहल का हिस्सा बनाना: 70 प्रतिशत (वर्ष 2030 तक)

5. लक्षित समूह:

- **15 से 29 वर्ष की आयु के युवा।**
- **ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवा।**
- **विशेषतः**
  - **महिलाएँ**
  - **दिव्यांग युवा**
  - **किसान**
  - **आर्थिक-सामाजिक रूप से कमज़ोर वर्ग।**

6. मिशन का कार्य क्षेत्र और भूमिका:

यह परिकल्पना की गई है कि मिशन को छह स्तम्बों (verticals) में आगे बढ़ाया जाएगा- संवाद, शिक्षा, क्षमता संवर्धन, उद्यमिता और रोजगार, सामाजिक पहल एवं अनुश्रवण। इस मिशन का कार्यक्षेत्र एवं स्तम्भ परिशिष्ट-एक अनुसार है।

7. अनुश्रवण (निगरानी):

युवा-केंद्रित पहलों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित किया जायेगा। कार्यक्रमों और पहलों को लगातार परिष्कृत करने के लिए डेटा-संचालित प्रणाली का उपयोग किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिए, मिशन के तहत चिन्हित् गतिविधियों और लक्ष्यों पर निगरानी रखने के लिए एक अलग पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस शाखा की कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार होंगी:-

- निरंतर पर्यवेक्षण के लिए पोर्टल विकसित करना।
- प्रत्येक स्तम्भ के लिए गतिविधियां अनुसार कार्य करना।
- विभागवार प्रस्तावित Key Performance Indicator (KPI) **परिशिष्ट-दो** है।
- प्रत्येक गतिविधियों के लिए KPI (Key Performance Indicator) के अनुसार कार्य करना।
- प्रत्येक KPI की प्रगति डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करना।

- MPSEDC द्वारा युवा पोर्टल के माध्यम से API आधारित समन्वय करना।

8. **कार्यान्वयन रणनीति:**

- **नेतृत्व और समन्वय:** मिशन की प्रत्येक स्तम्भ के लिए संबंधित शासकीय विभागों को जिम्मेदारी सौंपना।
- **साझेदारियां और सहयोग:** शैक्षणिक संस्थानों, एनजीओ और निजी क्षेत्र के साथ सहयोग स्थापित करना।
- **क्षमता निर्माण:** वर्तमान में प्रचलित कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण सत्र और कार्यशालाओं का आयोजन।
- **प्रतिक्रिया और मूल्यांकन:** निरंतर सुधार के लिए सतत अनुश्रवण।

9. **संस्थागत व्यवस्था:**

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मिशन का समन्वयक विभाग होगा। उच्च शिक्षा विभाग सह-समन्वयक होगा। खेल एवं युवा कल्याण, एमएसएमई सहित सभी संबंधित विभाग मिशन का हिस्सा होंगे। गैर-सरकारी संगठनों और परोपकारी लोगों की सक्रिय भागीदारी को शामिल करके मिशन के प्रति संपूर्ण समाज का दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की तरफ से मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड (MPSSDEGB) इस मिशन का समन्वय करेंगे। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन संचालन माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में साधारण सभा (परिशिष्ट-3 अनुसार) के द्वारा संचालित किया जायेगा। मिशन अंतर्गत् कार्यकारिणी समिति मुख्य सचिव महोदय के अध्यक्षता में गठित समिति (परिशिष्ट-4) के द्वारा किया जाएगा। सामान्य सभा की बैठक वर्ष में न्यूनतम एक बार आयोजित की जायेगी, जिसमें वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे। कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में आयोजित की जायेगी।

10. **वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान:**

योजना का संचालन संबंधित विभागीय बजट के माध्यम से किया जाना परिकल्पित है जो पूर्व से एवं पृथक से स्वीकृत है। यदि मिशन के तहत स्वीकृत निर्धारित बजट से अधिक अतिरिक्त व्यय शामिल होता है तो प्रस्ताव उचित प्रक्रिया के अनुसार अलग से वित्त विभाग को भेजा जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. एम.आर. धाकड़)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

पृ.क्र. क्रमांक 101 /2338775/2024/42-2,   भोपाल, दिनांक 15/01/2025

प्रतिलिपि :-

1 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल।

2 निज सहायक, माननीय मंत्री जी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार (केवल कौशल विकास एवं रोजगार)।

3 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग।

4 निज सहायक, सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।

5 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

6 उप सचिव, म.प्र.शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।

7 संचालक, कौशल विकास संचालनालय।

8 आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।

9 संबंधित कोषालय अधिकारी..।

10 स्टॉक पंजी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

परिशिष्ट-1

मिशन का कार्यक्षेत्र एवं स्तम्भ (Verticals)

मिशन का रणनीतिक दृष्टिकोण परस्पर संबद्ध कार्यक्षेत्रों पर आधारित होगा जिसमें प्रत्येक युवा के व्यापक विकास और सहभागिता सुनिश्चित करने में विशिष्ट भूमिका होगी:-

1. **संवाद-** युवाओं के साथ संवाद को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल और ऑफलाइन प्रणाली विकसित किया जायेगा। संवाद कार्यक्रम का नेतृत्व उच्च शिक्षा विभाग और जनसंपर्क विभाग द्वारा किया जायेगा। शाखा की प्रमुख पहलें निम्नानुसार हो सकती हैं:

- युवाओं के साथ संवाद।
- युवाओं के लिए पहलों और कार्यों पर चर्चा व विकास गाथा को युवाओं से साझा करना।
- सक्रिय कैरियर परामर्श- कर्म का महत्त्व।
- युवाओं के मध्य शिक्षा/कौशल विकास में QUEST (गुणवत्ता, उपयोगिता, दक्षता, स्थिरता और समयबद्धता) के विचार को बढ़ावा देना।
- युवाओं में नेतृत्व को बढ़ाना।
- सामाजिक योगदान हेतु संकल्प।

2. **शिक्षा-** युवाओं के कौशल विकास और उन्हें वैश्विक दक्षताओं के अनुसार ढालने पर सीधे ध्यान केंद्रित करना। इसका नेतृत्व उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा किया जाएगा। शाखा की प्रमुख पहलें निम्नानुसार हो सकती हैं:

- शिक्षा की **गुणवत्ता** (QUEST) में सुधार करना।
- एकलव्य एवं कन्या मॉडल स्कूल- समावेशी रूप से सुदृढ़ बनाना।

- पी.एम. कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को सुदृढ़ बनाना और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना।
- सी.एम. राईज स्कूल को सुदृढ़ बनाना और उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना ।
- युवाओं में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना (MPCOST/AIGGPA/GSP द्वारा)।
- युवाओं में तकनीक के अधिकाधिक उपयोग को बढ़ावा देना यथा VIDYUT पहल (Value Is Double when Youth Understand Technology & Digital University)।
- **वैश्विक** प्रतिस्पर्धा के **मानकों** के अनुसार क्षमता का विकास करना।
- उद्योगों और उद्योग से जुड़े प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना।
- प्रत्येक संभागीय मुख्यालय में कौशल विश्वविद्यालय (Skill University) की स्थापना करना।

3. **क्षमता संवर्धन-** युवाओं के कौशल विकास और उन्हें वैश्विक दक्षताओं के अनुसार ढालने पर सीधे ध्यान केंद्रित करना। इसका नेतृत्व उच्च शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा किया जाएगा। शाखा की प्रमुख पहलें निम्नानुसार हो सकती हैं:

- **वैश्विक** प्रतिस्पर्धा के **मानकों** के अनुसार क्षमता का विकास करना।
- उद्योग संयोजन/रोजगार के लिए आकांक्षाओं की पहचान एवं पूर्ति करना।
- मध्यप्रदेश के **प्रत्येक व्यक्ति का आय, मानक कुशल न्यूनतम दर** के समान करना (पांच वर्षों में 70%)।
- कौशल विकास का विविधीकरण, गुणवत्ता मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करना।
- पर्यटन और hospitality क्षेत्र के लिए कौशल विकास करना।

- **निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी** के माध्यम से रोज़गार के अवसरों को सुगम बनाना।
- वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय बुद्धिमत्ता (Financial Intelligence)
- उद्यमिता और करियर चयन सेवाओं पर विशेष ध्यान करना।
- युवा कौशल आकलन की सुविधा: युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के आधार पर सही करियर विकल्प चुनने में मदद करने के लिए सुविधा विकसित करना।
- उद्योगों की कौशल आवश्यकताओं का आकलन कर उसके अनुसार कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना

4. **उद्यमिता एवं रोजगार-** उद्योग एवं अकादमिक संपर्क उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कौशल और शिक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस शाखा को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (एमएसएमई) और औद्योगिकी नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग (डीआईपीआईपी) विभागों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इस शाखा की कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

- उद्योगों की सुविधा के लिए प्रणाली/प्रक्रिया पुनर्गठन किया जायेगा। (EODB)
- स्टार्टअप को बढ़ावा देना।
- स्थानीय नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और मान्यता (SRUTI)
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को प्रक्रिया/सब्सिडी की सुविधा/भूमि आवंटन की समस्त प्रक्रियाओं को ऑनलाईन किया जायेगा।
- प्रत्येक जिले में MSME औद्योगिक पार्क का विकास- मार्ग सुविधा/ ऊर्जा/ जल व्यवस्था/संचार

- उद्योग की आवश्यकतानुसार मानव संसाधन का विकास- Alignment
- स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करना जिससे युवाओं को दूर जाने की आवश्यकता न पड़े

- इस कार्य हेतु HARSH (Holistic Assessment of Requirement for Support and Handholding), HUNAR (Holistically Upskilling NARi-shakti), DAKSH (Direct Application of Knowledge and Skills), SRUTI (State wide Reach-out on Understanding Technology and Innovation) जैसे पहल किये जाएंगे
- **हर्ष (HARSH)-** उदयमिता विकास, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि-संबद्ध क्षेत्र विस्तार और रोज़गार-उपयुक्तता (एम्प्लॉयबिलिटी) के संबंध में व्यक्तिगत स्तर की कार्य योजना विकसित करने की एक पहल हर्ष है। यह योजना हर व्यक्ति को न्यूनतम कुशल मजदूरी दर के बराबर आय अर्जित करने में मदद करेगी। इस संबंध में ग्लोबल स्किल्स पार्क अन्तर्गत Centre for Skills Research and Development (CSRD) दवारा एक पायलेट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है।
- **हुनर (HUNAR)-** महिलाओं के कौशल विकास के लिए एक विशेष पहल जो उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है। इस हेतु वर्तमान में संचालित कौशल प्रशिक्षणों के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा।
- **दक्ष (DAKSH)-** ज्ञान और कौशल के प्रत्यक्ष अनुप्रयोग के तहत आईटीआई, पॉलीटेक्निक् और इंजीनियरिंग कॉलेजों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को बाजार की आवश्यकता से जोड़ने के लिए

प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि प्रशिक्षण के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को सीधे बाजार मिल सके, जिससे प्रशिक्षुओं में गुणवत्ता और बाजार की आवश्यकताओं की समझ को बढ़ावा मिले। उक्तानुसार उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए शासकीय कौशल विकास एवं तकनिकी शिक्षा संस्थानों के उत्पादों को एमएसएमई विभाग की सूची (भंडार क्रय नियम अंतर्गत) में शामिल करने की कार्रवाई प्रस्तावित है|

- **SRUTI** के माध्यम से समाज में मौजूद नवाचारों की पहचान, प्रचार और निवेश के माध्यम से उन्हें पोषित करने के लिए एक ढांचा प्रदान किया जायेगा। इस हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान की सक्षम स्वीकृति पृथक से प्राप्त की जायेगी।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से रोजगार के अवसरों को सुगम बनाने का प्रयास किया जायेगा।
- रोजगार दिवस, रोजगार मेला और प्रशिक्षुता मेला को एकीकृत किया जाकर प्रत्येक जिले में रोजगार, प्रशिक्षुता और उद्यमिता से संबंधित गतिविधियों के लिए महीने का एक दिन निश्चित किया गया है ताकि एकीकृत प्रयास का लाभ एक ही दिवस में ही सुनिश्चित हो सके। 'युवा संगम' पहल से सभी सम्बंदित अन्य विभागों को भी जोड़ने की कार्यवाही प्रस्तावित है
- रोजगार एवं सहभागिता को बढ़ावा देना।
- सेवा क्षेत्र, विशेषकर पर्यटन और आतिथ्य, की उद्यमशीलता क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना।

5. सामाजिक पहल:

इस शाखा की कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार होंगी:

- सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें। उदाहरणार्थ- सामाजिक पहल भवानी (पोषण अपर्याप्तता के खिलाफ भारत द्वारा स्वयं सेवा) (BhaVANI-Bharat Volunteering against Nutritional Insufficiency) जैसी पहलें शामिल हो सकती है, जहाँ युवाओं को अपने आस-पास के इलाकों में पहचाने गए कुपोषित बच्चों को स्वैच्छिक आधार पर मार्गदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि राज्य कुपोषण के अभिशाप से मुक्त हो सके।
- स्वस्थ जीवनशैली और निवारक स्वास्थ्य देखभाल उपायों को बढ़ावा देना।
- **मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य** में सुधार करना।
- **नशे से युवाओं को दूर रखना।**
- **सामाजिक बुराइयों** (जैसे दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा आदि) के खिलाफ युवाओं को शिक्षित करना
- राष्ट्र और राज्य के **गौरवशाली इतिहास और संस्कृति** से युवाओं को जोड़ना **(भारतीय ज्ञान परंपरा)**
- NCC, NSS, NYK में युवाओं को जोड़ना
- **पर्यावरण संरक्षण** के महत्व पर जागृति
- BhaVANI : युवाओं के माध्यम से **सही पोषण** के लिए बच्चों का मार्गदर्शन
- **पर्यावरण संरक्षण** (वृक्षारोपण और जल संरक्षण जैसे सामाजिक प्रयास को बढ़ावा देना)
- पारंपरिक कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए विश्लेषण करना
- CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) फण्ड का कौशल विकास के लिए उपयोग करना

- खेलों के माध्यम से नेतृत्व, टीमवर्क और अनुशासन को प्रोत्साहित करना।

6. अनुश्रवण (निगरानी):

युवा-केंद्रित पहलों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित किया जायेगा। कार्यक्रमों और पहलों को लगातार परिष्कृत करने के लिए डेटा-संचालित प्रणाली का उपयोग किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिए, मिशन के तहत चिन्हित् गतिविधियों और लक्ष्यों पर निगरानी रखने के लिए एक अलग पोर्टल विकसित किया जाएगा। इस शाखा की कुछ प्रमुख पहलें निम्नानुसार होंगी:-

- निरंतर पर्यवेक्षण के लिए पोर्टल विकसित करना।
- प्रत्येक स्तम्भ के लिए गतिविधियां अनुसार कार्य करना।
- प्रत्येक गतिविधियों के लिए KPI (Key Performance Indicator) के अनुसार कार्य करना।
- प्रत्येक KPI की प्रगति डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करना।
- MPSEDC द्वारा युवा पोर्टल के माध्यम से API आधारित समन्वय करना।

क्रमांक	समन्वयक विभाग का नाम	सहयोगी विभागो के नाम	वर्टिकल	लक्ष्य	गतिविधियां	केपीआई
1	खेल एवं युवा कल्याण	उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार/लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/आयुष/जनजातीय कार्य विभाग/अनुसूचित जाति कल्याण	संवाद	युवाओं के साथ संवाद स्थापित करना	"युवा संवाद" कार्यक्रम आयोजित करना।	आयोजित युवा संवाद कार्यक्रमों की संख्या तथा उक्त में सहभागियों की संख्या
2	उच्च शिक्षा	स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार/लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/आयुष/जनजातीय कार्य विभाग/अनुसूचित जाति कल्याण	संवाद	युवाओं के लिए की गई पहलों और कार्यों पर चर्चा	विभिन्न पहलों और नीतियों की जानकारी देने के लिए कार्यशालाएं।	कार्यशालाओं और सत्रों में भाग लेने वाले युवाओं की संख्या।
3	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार	उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण/लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/आयुष विभाग/जनजातीय कार्य विभाग/अनुसूचित जाति कल्याण	संवाद	सक्रिय कैरियर परामर्श	संबंधित विभागों के साथ कैरियर परामर्श सत्र।	कैरियर परामर्श प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या।
			संवाद		रोजगार और शिक्षा के अवसरों की जानकारी प्रदान करना।	परामर्श से रोजगार पाने वालों की संख्या।
4	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार	उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण/लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/आयुष विभाग	संवाद	QUEST (गुणवत्ता, उपयोगिता, दक्षता, स्थिरता और समयबद्धता) को बढ़ावा	युवाओं को QUEST के महत्व पर प्रशिक्षित करना।	QUEST आधारित प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या।
5	खेल एवं युवा कल्याण	उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार/लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम/आयुष/जनजातीय कार्य विभाग/अनुसूचित जाति कल्याण	संवाद	युवाओं में नेतृत्व को बढ़ावा	नेतृत्व विकास कार्यशालाओं का आयोजन।	नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं की संख्या।
6	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण	उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार/लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम/आयुष/जनजातीय कार्य विभाग/अनुसूचित जाति कल्याण	संवाद	सामाजिक योगदान हेतु संकल्प	युवाओं को सामाजिक मुद्दों के लिए प्रेरित करना।	सामाजिक सेवा गतिविधियों में भाग लेने वाले युवाओं की संख्या।

परिशिष्ट-2

क्रमांक	समन्वयक विभाग का नाम	सहयोगी विभागो के नाम	वर्टिकल	लक्ष्य	गतिविधियां	केपीआई
1	उच्च शिक्षा विभाग	वित्त विभाग	शिक्षा	"पी.एम. कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस" का सुदृढ़ीकरण एवं स्वायत्तता	कॉलेजों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना।	उन्नत पाठ्यक्रम अपनाने वाले कॉलेजों की संख्या।
			शिक्षा		उन्नत पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियां लागू करना।	राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग में सुधार।
2	स्कूल शिक्षा विभाग	वित्त विभाग	शिक्षा	"सी.एम. राईज स्कूल" का सुदृढ़ीकरण एवं स्वायत्तता	स्कूलों में आधुनिक शिक्षा पद्धतियों का समावेश।	सुदृढ़ किए गए स्कूलों की संख्या।
			शिक्षा		शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।	शिक्षकों और छात्रों की प्रदर्शन में सुधार।
3	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार	वित्त विभाग/औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयम	शिक्षा	आईटीआई के आधारभूत ढांचे का उन्नयन एवं उद्योग से साझेदारी तथा सहयोग	अत्याधुनिक कार्यशालाओं, स्मार्ट क्लासरूम और उपकरणों की स्थापना	उन्नत कार्यशाला की संख्या, स्मार्ट क्लासरूम की संख्या।
			शिक्षा		उद्योग-अकादमिक भागीदारी के लिए एमओयू (MoUs) पर हस्ताक्षर	उद्योगों के साथ हस्ताक्षरित एमओयू की संख्या।
4	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण/लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/आयुष विभाग/जनजातीय कार्य विभाग/अनुसूचित जाति कल्याण MPCOST / AIGGPA	शिक्षा	अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा	अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता।	अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं की संख्या।
			शिक्षा		नवाचार और अनुसंधान प्रोत्साहन।	प्रकाशित शोध पत्रों और पेटेंट की संख्या।

5	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	शिक्षा	तकनीक का अधिकाधिक उपयोग (VIDYUT)	कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम, और इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार।	स्मार्ट क्लासरूम और लैब्स की संख्या।
			शिक्षा			डिजिटल लर्निंग का उपयोग करने वाले छात्रों की संख्या।
6	उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	शिक्षा	वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मानकों के अनुसार क्षमता का विकास	छात्रों और शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और प्रशिक्षण।	अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षकों और छात्रों की संख्या।
7	स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार/लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/आयुष	शिक्षा	शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार	मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा गुणवत्ता ऑडिट।	बेहतर शैक्षणिक परिणाम वाले संस्थानों का प्रतिशत।
			शिक्षा		शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के लिए उपाय।	छात्र संतोष और शिक्षक प्रदर्शन।
8	स्कूल शिक्षा	जनजातीय कार्य विभाग/अनुसूचित जाति कल्याण	शिक्षा	युवाओं को 10वीं तक शिक्षा पूरी करने का मध्यवर्ती लक्ष्य (वर्ष 2028)	10वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कार्यक्रमों का संचालन।	10वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने वाले युवाओं की संख्या।
			शिक्षा		रोजगार आधारित पाठ्यक्रमों का विकास।	रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम अपनाने वाले छात्रों की संख्या।
9	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन/कुटीर एवं ग्रामोद्योग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	शिक्षा	उद्योगों और उद्योग से जुड़े प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना	उद्योगों की पहचान और उनके अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना।	स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या।
			शिक्षा		स्थानीय उद्योगों से साझेदारी।	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या।
10	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार	उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा	शिक्षा	प्रत्येक संभागीय मुख्यालय में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना	संभागीय मुख्यालयों में कौशल विश्वविद्यालयों की स्थापना।	स्थापित विश्वविद्यालयों की संख्या।
			शिक्षा		रोजगार केंद्रित पाठ्यक्रमों का निर्माण।	विश्वविद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या।

परिशिष्ट-2

क्रमांक	समन्वयक विभाग का नाम	सहयोगी विभागो के नाम	वर्टिकल	लक्ष्य	गतिविधियां	केपीआई
1	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन/कुटीर एवं ग्रामोद्योग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	क्षमता संवर्धन	प्रतिस्पर्धा के मानकों के अनुसार क्षमता का विकास	रोजगार बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण।	उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की संख्या।
			क्षमता संवर्धन		राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मानकों के अनुरूप पाठ्यक्रम।	प्रतिस्पर्धी मानकों को पूरा करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत।
2	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार/औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	कुटीर एवं ग्रामोद्योग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	क्षमता संवर्धन	उद्योग संयोजन/रोजगार के लिए आकांक्षाओं की पहचान एवं पूर्ति	उद्योगों की आवश्यकताओं की पहचान एवं उसकी पूर्ति।	कौशल अनुरूप रोजगार पाने वाले व्यक्तियों की संख्या।
			क्षमता संवर्धन		आकांक्षाओं के अनुरूप रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रम।	रोजगार मेलों में भागीदारी।
3	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	वित्त विभाग/योजना और सांख्यिकी विभाग/कुटीर एवं ग्रामोद्योग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा/श्रम/तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार/औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	क्षमता संवर्धन	पांच वर्षों में मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना	उच्च आय वाले क्षेत्रों जैसे IT, पर्यटन और उद्योगों में निवेश प्रोत्साहन।	प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर।
4	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	वित्त विभाग/योजना और सांख्यिकी विभाग/कुटीर एवं ग्रामोद्योग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा/श्रम/तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार/औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	क्षमता संवर्धन	पांच वर्षों में बेरोजगारी दर आधा करना	रोजगार सृजन के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में निवेश।	बेरोजगारी दर में कमी का प्रतिशत।
			क्षमता संवर्धन		स्वरोजगार को प्रोत्साहन।	सृजित नौकरियों की संख्या।
5	कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा विभाग	पर्यटन/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा/अनुशुचित जाति कल्याण/जनजातीय कार्य	क्षमता संवर्धन	कौशल विकास का विविधीकरण, गुणवत्ता मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण	नए क्षेत्रों में कौशल पाठ्यक्रम जैसे डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।	प्रमाणित व्यक्तियों की संख्या।
			क्षमता संवर्धन		प्रमाणन प्रक्रिया।	नई स्किल्स में प्रशिक्षण लेने वालों का प्रतिशत।

6	पर्यटन विभाग	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार	क्षमता संवर्धन	पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के लिए कौशल विकास	पर्यटन और होटल प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या।
			क्षमता संवर्धन			पर्यटन क्षेत्र में रोजगार पाने वालों की संख्या।
7	कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा विभाग	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन/कुटीर एवं ग्रामोद्योग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	क्षमता संवर्धन	निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी के माध्यम से रोजगार के अवसर सुगम बनाना	निजी कंपनियों के साथ कौशल विकास और रोजगार के लिए समझौते।	निजी क्षेत्र के साथ हस्ताक्षरित समझौतों की संख्या।
			क्षमता संवर्धन		उद्योगों से अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था।	निजी क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों की संख्या।
8	खेल एवं युवा कल्याण		क्षमता संवर्धन	युवा कौशल आकलन की सुविधा युवाओं को उनकी रुचि और क्षमता के आधार पर सही करियर विकल्प चुनने में मदद करने के लिए सुविधा विकसित करना।	रुचि और क्षमता परीक्षण के लिए डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का विकास।	कौशल आकलन में भाग लेने वाले युवाओं की संख्या।
			क्षमता संवर्धन		करियर गाइडलाइंस के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति।	आकलन के बाद सही करियर विकल्प चुनने वाले युवाओं की संख्या।
9	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयम	क्षमता संवर्धन	उद्योगों की कौशल आवश्यकताओं का आकलन और प्रशिक्षण की व्यवस्था	उद्योगों की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण और रिपोर्ट तैयार करना।	उद्योग आधारित पाठ्यक्रम अपनाने वाले युवाओं की संख्या।
			क्षमता संवर्धन		उद्योग आधारित कौशल पाठ्यक्रम तैयार करना।	उद्योगों में प्लेसमेंट प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या।
10	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उदयम	क्षमता संवर्धन	स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करना	स्थानीय कुटीर उद्योगों, एमएसएमई, और स्वरोजगार को बढ़ावा देना।	स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या।
			क्षमता संवर्धन		हस्तशिल्प, कृषि आधारित और सेवा क्षेत्र में अवसर विकसित करना।	स्वरोजगार अपनाने वाले युवाओं की संख्या।

परिशिष्ट-2

क्रमांक	समन्वयक विभाग का नाम	सहयोगी विभागो के नाम	वर्टिकल	लक्ष्य	गतिविधियां	केपीआई
1	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन/कुटीर एवं ग्रामोद्योग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	उद्यमिता एवं रोजगार	उद्योगों की सुविधा के लिए प्रणाली/प्रक्रिया का पुनर्गठन	उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देना।	प्रक्रियाओं में लगने वाले समय में कमी।
2	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन/कुटीर एवं ग्रामोद्योग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	उद्यमिता एवं रोजगार	स्टार्टअप्स को बढ़ावा	नए स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन और सहायता।	पंजीकृत स्टार्टअप्स की संख्या।
			उद्यमिता एवं रोजगार		वित्तीय सहायता, मेंटरशिप, और इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना।	सफल स्टार्टअप्स की संख्या।
3	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन/कुटीर एवं ग्रामोद्योग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	उद्यमिता एवं रोजगार	स्थानीय नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार और मान्यता (SRUTI)	नवाचार के लिए SRUTI कार्यक्रम के तहत पुरस्कार।	नवाचार के लिए पुरस्कृत व्यक्तियों की संख्या।
			उद्यमिता एवं रोजगार		नवाचारों की प्रदर्शनी और प्रचार।	सबमिट किए गए नवाचार प्रस्तावों की संख्या।
4	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन/कुटीर एवं ग्रामोद्योग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	उद्यमिता एवं रोजगार	MSMEs को प्रक्रिया/सब्सिडी की सुविधा/भूमि आवंटन	MSMEs के लिए सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाईन करना।	ऑनलाईन सब्सिडी आवेदन की संख्या।
			उद्यमिता एवं रोजगार		सब्सिडी और भूमि आवंटन की पारदर्शी प्रक्रिया।	आवंटित भूमि और स्वीकृत MSMEs की संख्या।
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन/कुटीर एवं ग्रामोद्योग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	उद्यमिता एवं रोजगार	प्रत्येक जिले में MSME औद्योगिक पार्क का विकास	औद्योगिक पार्क में ऊर्जा, जल, और संचार जैसी आधारभूत सुविधाओं का विकास।	विकसित औद्योगिक पार्कों की संख्या।
			उद्यमिता एवं रोजगार			पार्क में कार्यरत MSMEs और उद्योगों की संख्या।

6	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन/कुटीर एवं ग्रामोद्योग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	उद्यमिता एवं रोजगार	उद्योग की आवश्यकता के अनुसार मानव संसाधन का विकास	तकनीकी शिक्षा विभाग की DAKSH, HUNAR और HARSH पहल के तहत प्रशिक्षण।	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या।
			उद्यमिता एवं रोजगार			उद्योगों में नियोजित व्यक्तियों की संख्या।
7	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन/कुटीर एवं ग्रामोद्योग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	उद्यमिता एवं रोजगार	DAKSH: ज्ञान और कौशल का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग	ITI, पॉलिटेक्निक, और इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रशिक्षण को बाजार की मांग से जोड़ना।	बाजार-अनुकूल पाठ्यक्रम अपनाने वाले संस्थानों की संख्या।
			उद्यमिता एवं रोजगार			उद्योगों में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति।
8	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग	पंचायत और ग्रामीण विकास	उद्यमिता एवं रोजगार	HARSH: व्यक्तिगत स्तर की कार्य योजना	कौशल विकास, कृषि-संबंधित विस्तार, और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत कार्य योजना बनाना।	व्यक्तिगत कार्य योजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या।
			उद्यमिता एवं रोजगार			उद्यम स्थापित करने वालों की संख्या।
9	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग	महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास	उद्यमिता एवं रोजगार	HUNAR: महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना	महिलाओं को गांवों/घरों से कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करना।	प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या।
			उद्यमिता एवं रोजगार			स्वरोजगार या रोजगार प्राप्त महिलाओं की संख्या।
10	तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार		उद्यमिता एवं रोजगार	उद्यमिता और करियर चयन सेवाओं पर विशेष ध्यान	उद्यमिता विकास के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन।	करियर परामर्श प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या।
			उद्यमिता एवं रोजगार		करियर परामर्श और मार्गदर्शन सेवाओं की स्थापना।	उद्यमिता में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं की संख्या।

क्रमांक	समन्वयक विभाग का नाम	सहयोगी विभागो के नाम	वर्टिकल	लक्ष्य	गतिविधियां	केपीआई
1	खेल एवं युवा कल्याण	उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार/लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/आयुष/महिला बल विकास/लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	सामाजिक पहल	स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना	योग, ध्यान, और खेल गतिविधियों का आयोजन	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या
			सामाजिक पहल		पोषण और संतुलित आहार पर कार्यशालाएं	प्रतिभागियों की संख्या
2	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण/आयुष विभाग	सामाजिक पहल	मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार	मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान	मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या
			सामाजिक पहल		परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना	
3	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण	उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार/आयुष	सामाजिक पहल	नशे से युवाओं को दूर रखना	नशा मुक्ति अभियान	नशा छोड़ने वाले युवाओं की संख्या
			सामाजिक पहल		नुक्कड़ नाटक और जागरूकता कार्यक्रम	आयोजित जागरूकता सत्र
4	महिला एवं बाल विकास विभाग	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण	सामाजिक पहल	सामाजिक बुराइयों के खिलाफ युवाओं को शिक्षित करना	दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा पर चर्चाएं	सामाजिक मुद्दों पर प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
			सामाजिक पहल		लैंगिक समानता पर वर्कशॉप	
5	संस्कृति	पर्यटन/धार्मिक न्यास और धर्मस्व/उच्च शिक्षा	सामाजिक पहल	राष्ट्र और राज्य के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति से जोड़ना	भारतीय ज्ञान परंपरा (IKS) पर कार्यशालाएं	सांस्कृतिक गतिविधियों की संख्या
			सामाजिक पहल		सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं	प्रतिभागियों की संख्या
6	उच्च शिक्षा विभाग	खेल एवं युवा कल्याण	सामाजिक पहल	NCC, NSS, NYK में युवाओं का जुड़ाव	इन संगठनों के माध्यम से सामुदायिक सेवाओं में भागीदारी	NCC/NSS/NYK से जुड़े युवाओं की संख्या
			सामाजिक पहल		सेवा कार्यों का आयोजन	सामुदायिक सेवा के घंटे
7	पर्यावरण विभाग	वन/उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार/लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/आयुष/उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	सामाजिक पहल	पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जागृति	वृक्षारोपण अभियान	लगाए गए पेड़ों की संख्या
			सामाजिक पहल		प्लास्टिक मुक्त समाज अभियान	प्लास्टिक मुक्त क्षेत्रों की संख्या
			सामाजिक पहल		जल और स्वच्छता अभियान	
8	महिला एवं बाल विकास विभाग	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/आयुष/लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	सामाजिक पहल	BHAVANI पहल: युवाओं को कुपोषित बच्चों की मदद के लिए प्रोत्साहित करना	पोषण संबंधित कार्यशालाएं	कुपोषित बच्चों की सहायता के मामले
			सामाजिक पहल		बाल स्वास्थ्य और पोषण पर मार्गदर्शन	युवाओं दवारा किए गए मार्गदर्शन

9	पर्यावरण विभाग	वन विभाग	सामाजिक पहल	पर्यावरण संरक्षण	वृक्षारोपण कार्यक्रमों का संचालन।	वृक्षारोपण में शामिल युवाओं की संख्या।
			सामाजिक पहल		जल संरक्षण योजनाओं में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।	जल संरक्षण गतिविधियों में भाग लेने वाले युवाओं की संख्या।
			सामाजिक पहल		पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाना।	
10	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	पंचायत और ग्रामीण विकास/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	सामाजिक पहल	पारंपरिक कौशल को प्रोत्साहित करना	पारंपरिक हस्तशिल्प और कला का सर्वेक्षण करना।	पारंपरिक कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या।
			सामाजिक पहल		इन कौशलों के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना।	पारंपरिक उत्पादों की बिक्री का मूल्य।
			सामाजिक पहल		पारंपरिक उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना।	NRLM/SRLM के ऐसे समूहों की संख्या जिनके उत्पादों के लिए F.L. /B.L. सुनिश्चित किया जाना.
						ODOP अंतर्गत प्रतिमाह लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या.
11	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन/कुटीर एवं ग्रामोद्योग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	सामाजिक पहल	CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) फंड का उपयोग	CSR फंड के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी।	CSR फंड से समर्थित परियोजनाओं की संख्या।
			सामाजिक पहल		कौशल विकास योजनाओं में CSR फंड का उपयोग सुनिश्चित करना।	CSR फंड से प्रशिक्षित युवाओं की संख्या।
12	खेल एवं युवा कल्याण	उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार/लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/आयुष	सामाजिक पहल	खेलों के माध्यम से नेतृत्व, टीमवर्क और अनुशासन को प्रोत्साहित करना	सामुदायिक और स्कूल स्तर पर खेल कार्यक्रमों का आयोजन।	खेल कार्यक्रमों में भाग लेने वाले युवाओं की संख्या।
			सामाजिक पहल		नेतृत्व और टीमवर्क आधारित खेल कार्यशालाओं का संचालन।	खेल से जुड़े नेतृत्व कार्यशालाओं में शामिल युवाओं की संख्या।

क्रमांक	समन्वयक विभाग का नाम	सहयोगी विभागो के नाम	वर्टिकल	लक्ष्य	गतिविधियां	केपीआई
1	पीएमयू	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	अनुश्रवण	मिशन युवा शक्ति पोर्टल का विकास	मिशन के अंतर्गत सभी गतिविधियों का डिजिटलीकरण।	पोर्टल का उपयोग करने वाले संगठनों और व्यक्तियों की संख्या।
		MPSEDC/NIC	अनुश्रवण		पोर्टल पर रियल-टाइम डेटा एंट्री की सुविधा।	डेटा एंट्री की समयबद्धता।
2			अनुश्रवण	गतिविधियों का निरंतर अनुश्रवण और पर्यवेक्षण	प्रगति ट्रैक करने के लिए डैशबोर्ड तैयार करना।	गतिविधियों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट की सटीकता।
			अनुश्रवण		डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया को सक्षम बनाना।	स्वचालित रिपोर्ट तैयार करने का समय।
3			अनुश्रवण	भागीदारी में पारदर्शिता और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना	प्रत्येक गतिविधि और पहल के लिए KPI सेट करना।	KPI के अनुसार प्राप्त लक्ष्यों का प्रतिशत।
			अनुश्रवण		क्षेत्रीय स्तर पर निगरानी टीम का गठन।	क्षेत्रीय निगरानी टीम की सक्रियता।
4			अनुश्रवण	फीडबैक और सुधार	उपयोगकर्ताओं से नियमित फीडबैक लेना।	प्राप्त फीडबैक की संख्या और गुणवत्ता।
			अनुश्रवण		पोर्टल को लगातार अपडेट करना।	पोर्टल पर अपडेट की आवृत्ति।
5			अनुश्रवण	मिशन युवा की रिपोर्टिंग प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना	स्वचालित रिपोर्टिंग टूल्स का उपयोग।	रिपोर्ट तैयार करने का समय।
					हितधारकों के साथ डेटा साझा करना।	डेटा शेयरिंग की दक्षता और उपयोगिता।

स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की साधारण सभा

1. मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2. प्रभारी मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	सदस्य
3. प्रभारी मंत्री, उच्च शिक्षा	सदस्य
4. प्रभारी मंत्री, खेल एवं युवा कल्याण	सदस्य
5. प्रभारी मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	सदस्य
6. प्रभारी मंत्री, औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन	सदस्य
7. प्रभारी मंत्री, जनसंपर्क	सदस्य
8. प्रभारी मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	सदस्य
9 प्रभारी मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	सदस्य
10. प्रभारी मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास	सदस्य
11. प्रभारी मंत्री, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण	सदस्य
12. प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
13. प्रभारी मंत्री, पर्यटन	सदस्य
14. प्रभारी मंत्री, संस्कृति	सदस्य
15. प्रभारी मंत्री, आयुष	सदस्य
16. प्रभारी मंत्री, कुटीर एवं ग्रामोद्योग	सदस्य
17. प्रभारी मंत्री, महिला बाल विकास	सदस्य
18. प्रभारी मंत्री, स्कूल शिक्षा	सदस्य
19. प्रभारी मंत्री, जनजातीय कार्य	सदस्य
20. प्रभारी मंत्री, अनुसूचित जाति कल्याण	सदस्य
21. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	सदस्य
22. भारसाधक सचिव, उच्च शिक्षा	(सह समन्वयक)
23. भारसाधक सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	(समन्वयक)
24. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मनोनीत अन्य सदस्य	

परिशिष्ट - 4

स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की कार्यकारिणी समिति

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2. प्रभारी सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	सदस्य
3. प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा	सदस्य
4. प्रभारी सचिव, खेल एवं युवा कल्याण	सदस्य
5. प्रभारी सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	सदस्य
6. प्रभारी सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन	सदस्य
7. प्रभारी सचिव, जनसंपर्क	सदस्य
8. प्रभारी सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	सदस्य
9 प्रभारी सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	सदस्य
10. प्रभारी सचिव, नगरीय विकास एवं आवास	सदस्य
11. प्रभारी सचिव, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण	सदस्य
12. प्रभारी सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
13. प्रभारी सचिव, पर्यटन	सदस्य
14. प्रभारी सचिव, संस्कृति	सदस्य
15. प्रभारी सचिव, आयुष	सदस्य
16. प्रभारी सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग	सदस्य
17. प्रभारी सचिव, महिला बाल विकास	सदस्य
18. प्रभारी सचिव, स्कूल शिक्षा	सदस्य
19. प्रभारी सचिव, जनजातीय कार्य	सदस्य
20. प्रभारी सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण	सदस्य
21. मुख्यकार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड	सदस्य
सचिव	